राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 219/2024 प्रा0पत्र

अनवान

1. जगदीश सिंह पुत्र विरम सिंह आयु 45 वर्ष।
2. उदय सिंह पुत्र तिलोक सिंह आयु 50 वर्ष।

समस्त जाति रावत निवासीयान दिवेर तहसील भीम उपतहसील दिवेर जिला राजसमंद।

.... प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. कमला देवी पत्नी टिल सिंह।
2. खीम सिंह पुत्र जिते सिंह।
3. सोहन सिंह पुत्र भैरू सिंह।
4. लक्ष्मण सिंह पुत्र अमर सिंह।
5. लक्ष्मी देवी पत्नी अर्जुन सिंह।

   समस्त जाति रावत आयु वयस्क निवासीयान दिवेर तहसील भीम उप तहसील दिवेर जिला राजसमंद।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थितिः—

01. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश सिंह चौहान, चांप सिंह चौहान
02. अप्रार्थीगण की ओर से पैरोकार सरकार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमंद)

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम वास्ते पत्थरगढ़ी</u>

निर्णय दिनांकः— 30/10/25

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीगण की सामलाती आराजियात जमाबंदी ग्राम दिवेर पटवार हल्का दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद की सरहद में स्थित भूमि, जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार जमाबंदी संवत् 2073—2075 में स्थित खसरा संख्या क्रमशः 1493, 1494, 1495, 1497, 1199, 1487, 1488, 1491, रकबा क्रमशः 0.0465, 0.0526, 0.0162, 0.0627, 0.0243, 0.0607, 0.0283, 0.2550 हैक्टयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित भूमि पर बाड़ करने गये तो अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 05 ने सीमा चिन्ह को लेकर लड़ाई—झगड़ा, गाली—गलौच करने लगे व मारपीट करने पर आमादा हो गये। प्रार्थीगण उक्त भूमि को उन्नत व विकसित कर उपजाउ बनाना चाहते है एवं पाल डोल लगाना चाहते है परन्तु इस भूमि के कोई स्थाई सीमा चिन्ह अथवा पत्थर की स्थाई दिवार बनी हुई नहीं है जिससे उक्त आराजियात की सीमा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः उक्त भूमि का विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर एवं पुराने चिन्हों के

Jhaim

आधार पर सीमा को चिन्हित करते हुए बाद नपती पत्थरगढ़ी हो जाती है तो भूमि की सीमाएं स्पष्ट हो जाएगी। अतः प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी करने के बाद भी विपक्षीगण 01 ता 05 अनुपस्थित पाए गए। प्रत्युत्तर में राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर न्यायालय को जवाब पेश किया कि उक्त वर्णित आराजी की खसरों की सीमाओं को लेकर प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के मध्य सीमा विवाद है। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में बहस की जिनकी एकतरफा बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिए कि प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार है और कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता है ग्राम दिवेर पटवार हल्का दिवेर की नकल, जमाबंदी वर्ष 2077 में प्रार्थीगण सह खातेदार है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम दिवेर पटवार हल्का दिवेर तहसील भीम जिला राजसमंद की सरहद में स्थित भूमि, जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार जमाबंदी संवत् 2073–2075 में स्थित खसरा संख्या क्रमशः 1493, 1494, 1495, 1497, 1199, 1487, 1488, 1491 रकबा हैक्टयर में क्रमशः 0.0465, 0.0526, 0.0162, 0.0627, 0.0243, 0.0607, 0.0283, 0.2550 भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को, लिखा जावे कि प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमन्द)